

श्री गणेशाय नमः
विद्या प्रतिष्ठानः

सेवा में,

श्री गणेशाय नमः
विद्या प्रतिष्ठानः
श्री गणेशाय नमः

शिक्षा 77 अनुभाग

तखतः दिनांक 19 अगस्त 2003

विषय:-

श्री गणेशाय नमः विद्या प्रतिष्ठान के माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्यता हेतु अनारपित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनारपित नहीं है :-

प्रहोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **श्री गणेशाय नमः** नई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनारपित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनारपित नहीं है :-

- 1] विद्यालय की संज्ञीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2] विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।।
- 3] विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विधिवत कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

4] संख्या 1430/15-7-85-163/30/8/2003 द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित किया गया है और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को मिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्जा मिशन से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदात मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

PRINCIPAL

Dr. G. L. Kanojia Public School (60333)
Hundal Khel, Shahjahanpur

PRINCIPAL
Dr. G. L. Kanojia Public School (60333)
Hundal Khel, Shahjahanpur

PRINCIPAL
G. L. Kanojia Public School (60333)
Shahjahanpur

- 5] संस्था के शैक्षिक एवं शिष्टोत्तम कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसन्ध वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 6] कर्मचारियों की सेवाओं बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त आजादीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसन्ध सेवा-नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 7] राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8] विद्यालय सिलाई निर्धारित पुपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 9] उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

महोदय,

PRINCIPAL

Dr. G. L. Kanojia Public School (60333)
Hundal Khel, Shahjahanpur

श्रीमान प्रमुख, स्कूल
मुक्त शाला

पुनःसंघर्ष दिनांक तदय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- माहोदय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~मुक्त शाला~~ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~मुक्त शाला~~ ।
- 4- निरीक्षक जंमल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, ~~मुक्त शाला~~ मुक्त शाला मुक्त शाला के मुख्यालय ।
- 6- गार्ड फाइल ।

PRINCIPAL

Dr. G. L. Kanojia Public School (60333)
Hundal Khel, Shahjahanpur

PRINCIPAL

Dr. G. L. Kanojia Public School (54204)
Shahjahanpur

श्रीमान प्रमुख, स्कूल
मुक्त शाला